

न्यायालय नायब तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

प्रकरण संख्या

$\frac{15}{18}$

निर्णय दिनांक

$5 \frac{3}{18}$

रिपोर्ट पटवारी हल्का अण्डवापुरी द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रकरण राजस्थान भू 0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 5-3-18 को पेश हो।

आज पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित/अनुपस्थित रहा सक्षिप्त मे विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का अण्डवापुरी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल अण्डवापुरी पुत्र जोबबिंद कौम ठाकुर निवासी मोरवापुरी तहसील राजाखेडा ने आराजी खसरा नम्बर 769 किस्म 500/3.पे. रकवा 0.07 वाके ग्राम मोरवापुरी पर सर्ज की अतिक्रमण कर लिया है। प्रकरण दर्ज रजिटर किया गया गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया गैर सायल उपस्थित/अनुपस्थित रहा, कोई सबूत एवं साक्ष्य पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात् रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिक्रमण सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 0.42 की 50 गुनी से शास्ति राशि 21/- रूपये आरोपित की जाती है। भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 को मांग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

दिनांक 21 मास 01 वर्ष 105
राजाखेडा
TRA
राजाखेडा

नायब तहसीलदार
राजाखेडा